

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 जून 2026—ज्येष्ठ 15, शक 1948

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 10 मार्च 2026

क्रमांक ESTB-102(1)/93//2026-GAD-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री संजीव कुमार झा, भा.प्र.से. (2011), संचालक, स्वास्थ्य सेवायें को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त-सह-संचालक, स्वास्थ्य सेवायें के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 6 अप्रैल 2026

शुद्धि पत्र

क्रमांक GENCOR/1540/2026-WCD.— विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30-03-2026 द्वारा किशोर न्याय बोर्ड में प्रधान न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना जारी की गई है।

उक्त अधिसूचना में सरल क्रमांक 10 में लिपिकीय त्रुटिवश श्री विजय कुमार साहू का नाम अंकित हो गया है के स्थान पर श्री विनय कुमार साहू पढ़ा जावे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुभाष चन्द्र कुजूर, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोण्डागांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोण्डागांव, दिनांक 27 अप्रैल 2026

क्रमांक 1177/2022602200900018/अ-82/2025-26.— भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत अधिनियम 2013 की धारा 4 के अधीन गठित सामाजिक समाघात निर्धारण दल के द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई) 2016 नियम 13, 16 से 20 तक एवं 23 की कार्यवाही किये जाने हेतु नियम-11 के तहत अधिसूचना प्रकाशित की जाती है।

नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल		लोक प्रयोजन का विवरण
			कुल खसरा	कुल रकबा	
कोण्डागांव	माकड़ी	बालोण्ड	05	0.249 हे.	बालोण्ड-चरकई मार्ग के कि.मी. 2/4 पर बासानी नाला पर उच्चस्तरीय सेतुमय पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 05-05-2026 को समय 11:00 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन, बालोण्ड, तहसील-माकड़ी, जिला-कोण्डागांव (छ.ग.) पर नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

एक	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	बालोण्ड-चरकई मार्ग के कि.मी. 2/4 पर बासानी नाला पर उच्चस्तरीय सेतुमय पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.
दो	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	05

तीन	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
चार	प्रभावित क्षेत्र के निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
पांच	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
छः	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	0.249 हेक्टेयर
सात	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
आठ	परियोजना का कुल लागत	—	1271.996 लाख
नौ	परियोजना से होने वाले लाभ	—	आसपास के ग्रामीण जनों को उच्चस्तरीय सेतुमय पहुँच मार्ग निर्माण बनने से बारहमासी आवागमन की सुविधा होगी.
दस	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	5.00 लाख
ग्यारह	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोण्डागांव, दिनांक 27 अप्रैल 2026

क्रमांक 1178/2022602200900017/अ-82/2025-26. — भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत अधिनियम 2013 की धारा 4 के अधीन गठित सामाजिक समाघात निर्धारण दल के द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई) 2016 नियम 13, 16 से 20 तक एवं 23 की कार्यवाही किये जाने हेतु नियम-11 के तहत अधिसूचना प्रकाशित की जाती है.

नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :-

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल		लोक प्रयोजन का विवरण
			कुल खसरा	कुल रकबा	
कोण्डागांव	माकड़ी	देवहरदूली	03	0.314 हे.	रांधना-देवहरदूली मार्ग के कि.मी. 2/8 पर बासानी नाला पर उच्चस्तरीय सेतुमय पहुँच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 08-05-2026 को समय 11:00 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन, रांधना, तहसील-माकड़ी, जिला-कोण्डागांव (छ.ग.) पर नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

एक	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	रांधना-देवहरदूली मार्ग के कि.मी. 2/8 पर बासानी नाला पर उच्चस्तरीय सेतुमय पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.
दो	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	03
तीन	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
चार	प्रभावित क्षेत्र के निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
पांच	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
छः	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	0.314 हेक्टेयर
सात	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
आठ	परियोजना का कुल लागत	—	1271.996 लाख
नौ	परियोजना से होने वाले लाभ	—	आसपास के ग्रामीण जनों को उच्चस्तरीय सेतुमय पहुंच मार्ग निर्माण बनने से बारहमासी आवागमन की सुविधा होगी.
दस	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	5.00 लाख
ग्यारह	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नुपूर राशि पन्ना, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

रायगढ़, दिनांक 18 मई 2026

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 604/2025110418000037/अ-82/2025-26.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची						
भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
			खसरा नं.	रकबा नं.		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायगढ़	लैलूंगा	लैलूंगा	667/3	0.2060	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण	लैलूंगा पाकरगांव मार्ग में
			667/8	0.0080	विभाग सेतु निर्माण संभाग, रायगढ़	खारून नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लैलूंगा के कार्यालय किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 18 मई 2026

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 606/2026010418000033/अ-82/2025-26.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची						
भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
			खसरा नं.	रकबा नं.		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायगढ़	लैलूंगा	लैलूंगा	155	0.2180	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रायगढ़	लैलूंगा पोतरा मार्ग पर खारून नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु
			165/18	0.0280		
			165/19	0.0160		
			165/2	0.0100		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			166/1	0.0040	
			166/2	0.0060	
			168/1	0.0200	
			168/2	0.0140	
			168/3	0.0380	
			169/1	0.0200	
			170/1	0.0730	
			170/2	0.0220	
			171/2	0.0140	

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लैलूंगा के कार्यालय किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मयंक चतुर्वेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 10 अप्रैल 2026

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 847/202512042100013/अ-82/
2024-25.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है
कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के
पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर
और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात्
अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा
यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए
आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-पुसौर
(ग) नगर/ग्राम-रैबार
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.446 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

105/7

0.010

योग

15

0.446

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक
प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी
(रा.), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मयंक चतुर्वेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-सक्ती, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

खसरा नम्बर

रकबा
(हेक्टेयर में)
(2)

(1)

सक्ती, दिनांक 11 मई 2026

659/6

0.020

क्रमांक/202311310100006/अ-82/2025-26.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

योग

01

0.020

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—कलमा बैराज के डूबान क्षेत्र में प्रभावित ग्राम चन्द्रपुर हेतु.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला-सक्ती

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-चन्द्रपुर, प.ह.नं. 08

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.020 हेक्टेयर

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृत विकास तोपनो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
“सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन” सेक्टर 24, कयाबांधा, अटल नगर, नवा रायपुर

नवा रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2026

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2026-27/703.— कार्यालयीन आदेश क्र./बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2022-23/6114-6115 रायपुर, दिनांक 15-12-2023 द्वारा श्री रोबिन्सन सुधीर कुजूर, अनुविभागीय अधिकारी कृषि, जिला रामानुजगंज, जिला-बलरामपुर को कृषि उपज मंडी समिति रामानुजगंज, जिला बलरामपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा श्री रोबिन्सन सुधीर कुजूर, अनुविभागीय अधिकारी कृषि, रामानुजगंज, जिला-बलरामपुर के स्थान पर श्री एन.एस. भगत, सहायक संचालक कृषि जिला बलरामपुर-रामानुजगंज को कृषि उपज मंडी समिति रामानुजगंज का आगामी आदेश तक भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

महेन्द्र सिंह सवन्नी,
संचालक.

छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, रायपुर
कार्यालय-शासकीय आयुर्वेद फार्मसी भवन, जी.ई.रोड, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 20 मई 2026

नाम निर्देशन-पत्र जमा करने की तिथि एवं समय का प्रकाशन

क्रमांक 01/निर्वाचन/नानितिप्र/458.—जबकि छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1970 (अनुकूलन आदेश 2001) के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी नियम, 1973 (अनुकूल आदेश 2001) के नियम 9 उप नियम (1) के तहत नाम निर्देशन-पत्रों को रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, कार्यालय, शासकीय आयुर्वेद फार्मसी भवन, जी.ई. रोड, रायपुर में जमा करने की तिथि दिनांक 16-06-2026 से 25-06-2026 को समय 12 बजे मध्याह्न तक अध्यक्ष द्वारा नियत किया गया है। नाम निर्देशन-पत्रों की जांच दिनांक 30-06-2026 को की जावेगी।

अतः छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी नियम, 1973 (अनुकूलन आदेश 2001) के नियम 9 उप नियम (1) के परिपालन में निर्वाचन पदाधिकारी/रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, एतद् निदेश देता है कि नाम निर्देशन-पत्र जमा करने की तिथि एवं समय का प्रकाशन आम लोगों के सूचनार्थ छत्तीसगढ़ के राजपत्र में किया जा रहा है।

टिप्पणी :— भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 तथा छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1970 (अनुकूलन आदेश 2001) के प्रावधानों के अधीन छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित अंतिम निर्वाचक नामावली में अन्तर्विष्ट चिकित्सा व्यवसायी तृतीय परिषद् के गठन हेतु मतदान के लिए अर्ह हैं तथा नाम निर्देशन की पात्रता रखते हैं।

डॉ. संजय शुक्ला,
निर्वाचन पदाधिकारी/रजिस्ट्रार

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 28th April 2026

No. 323/Confdl./2026/II-3-14/2000 (Part-V).—On the prayer made vide application dated 10-03-2026 by Ku. Prerana Verma, II Civil Judge Junior Division, Katghora, she is, hereby, permitted to change her name from Ku. Prerana Verma D/o Late R.S. Verma to Smt. Prerana Verma Chandrakar W/o Shri Sagar Chandrakar and to incorporate the name of her husband Shri Sagar Chandrakar in her service records. It is directed that necessary changes be affected in all her records.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,
RAJNISH SHRIVASTAVA, Registrar General.